न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-15/2006

1- अशोककुमार पुत्र
2- विधाधर पुत्र
3- सुमित्रा देवी पुत्री
4- सुमिता देवी पुत्री
5- नारायणीदेवी पत्नी

स्व0 रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम घस्सू का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- श्याम सुन्दर पुत्र
2- रामचन्द्र पुत्र

पुत्र स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम घस्सू का बास तहसील लक्ष्मणगढ

3- मोहनी पुत्री रतनाराम धर्म पत्नी नोपाराम जाति जाट निवासी नासनवा (बडा गांव) तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

4-छोटीदेवी पुत्री रतनाराम धर्म पत्नि स्व0 भागीरथ जाति जाट निवासी रिणु तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

5- भूरीदेवी धर्मपत्नी स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासी ग्राम घस्सू का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर । (नाम हजफ)

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10-11-2005 द्वारा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री प्रमोद मोदी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय ~~सुनाया~~ दिनांक गया :- 23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा का पेश कर आराजी ख0नं0 55 रकबा 17 बिस्वा, पुख्ता है के बराबर 0.21 हैक्टर में से 1/4 हिस्से की भूमि ग्राम माधोपुरा उर्फ घस्सू का बास में से 1/4 हिस्से की वादी ने दिनांक 29-12-79 को 100/-रूपये में पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये तत्कालीन खातेदार से क्रय की तथा क्रय के बाद इसमें आवासीय मकान बना लिये। जिसका खाता वादी के नाम न होकर सम्पूर्ण खाता प्रतिवादी के नाम हो गया। जिससे वादी उक्त 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। यह दावा पेश किया। दौराने दावा वादी का देहान्त हो गया। जिसका प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-3 सीपीसी पेश किया। जिसमे बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र ब आदेश-22 नियम-3 सीपीसी खारिज कर वादी का दावा अबैट कर खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अपीलान्ट के पिता/पति रामेश्वर ने एक दावा बाबत उद्घोषणा का न्यायालय उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी में दिनांक 3-5-2002 का पेश किया। यह दावा लक्ष्मणगढ में उप खण्ड अधिकारी का कोर्ट खुलजाने से वहां पर स्थानान्तरित हो गया। दौराने दावा वादी रामेश्वर(अपीलान्ट के पिता/पति) का देहान्त हो गया। उक्त दावे की पैरवी स्व0 रामेश्वर ही करता था। अपीलांट घरेलू कामकाजी व्यक्ति है जिन्हे मुकदमे बाजी की जानकारी नहीं थी। दिनांक 13-1-2003 को रामेश्वर का देहान्त हो गया। इसके बाद फतेहपुर के अधिवक्ता ने अपीलान्ट संख्या-1 से प्रकरण की प्रोग्रेस के बारे में पूछा तब उन्होने ही बताया कि लक्ष्मणगढ में नया वकील नियुक्त कर कायम मुकाम पेश करें। तब अपीलान्ट ने अविलम्ब कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके साथ धारा-5 अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका प्रतिवादी ने जबाब पेश किया जिसके बाद अपीलान्ट ने अबैटमेन्ट को निरस्त कराने के लिये प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-9 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अदालत मातहत ने सुनवाई

करते हुये प्रार्थना पत्र कायम मुकाम विधि विरूद्ध खारिज कर दावा अबैट करने में कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट के पिता रतनाराम के जबाब प्रार्थना पत्र पर विश्वास कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट ने फतेहपुर शेखावाटी में न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि उक्त मुकदमा रेस्पोडेन्ट के पिता रतनाराम की तरफ से किया गया था। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को दावे की जानकारी होना मानकर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत के निर्णय के बाद तथा अपील से पूर्व रतनाराम का देहान्त हो गया। जिससे उसके वारिसान की जांच कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में दावा अपीलान्ट के पिता स्व0 रामेश्वर ने पेश किया। इसके बाद यह दावा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में स्थानान्तरित हो गया । जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । और न ही अपीलान्ट को यह जानकारी थी कि उनके पिता ने कोई दावा कर रखा है । हमें तो जब मालूम चला जब फतेहपुर शेखावाटी के वकील ने अपीलान्ट से प्रकरण की जानकारी चाही तब अपीलान्ट को इस प्रकरण की जानकारी हुई तब वकील साहब ने कहा की आपका प्रकरण लक्ष्मणगढ चला गया है अब आप प्रकरण में कायम मुकाम की कार्यवाही करना। तब अपीलान्ट ने जानकारी होते ही लक्ष्मणगढ में प्रकरण में वकील नियुक्त कर प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-3 सीपीसी एवं धारा-5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका जबाब आने पर अबैटमेन्ट को निरस्त करने के लिये आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का

निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट के पिता ने 0.21 हैक्टर में से केवल 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड पत्र क्रय कर कब्जा कर उस पर मकान बनाकर आबाद है। इस दावे का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट का यह कहना कि अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में प्रकरण दायर किया है, गलत है । यह दावा स्वय0 प्रतिवादी रतनाराम ने पेश किया था जो भी स्व0 रामेश्वर के विरूद्ध पेश किया है । अदालत मातहत ने रेकार्ड का बिना अवलोकन किये केवल रेस्पोडेन्ट के कथनों पर विश्वास कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु रिमाण्ड की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को रामेश्वर की मृत्यु की जानकारी मरने के दिन से रही है तथा उक्त प्रकरण की भी अपीलान्ट को जान-कारी थी अपीलान्ट प्रकरण की प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में आते रहे है । इतना ही नहीं एक प्रकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश(व0ख0) फतेहपुर शेखावाटी में विचाराधीन था जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट को रही है । जिसमें भी अपीलान्ट प्रत्येक पेशी पर हाजिर हुये हैं । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र जानकारी के बाद मियाद के बाहर पेश किया है। धारा-5 में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर बारीकी से मनन करने के बाद प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-3 सीपीसी मय शापथ पत्र एवं धारा-5 अवधि अधिनियम पेश किया । प्रार्थना पत्र में रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 13-01-2003 को होना दर्ज किया है। प्रार्थना पत्र दिनांक

18-12-2003 को पेश किया गया जो लगभग 11 माह बाद पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 अवधि अधिनियम प्रार्थना तथा उपशमन समाप्त करने का प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-9 सीपीसी अपीलान्ट द्वारा पेश किया। जिसके सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलान्ट ने नजीर 2015(4) डीएनजे(राज0) पेज-1465 आरआरटी 2009(2) पेज-1092 पेश कर न्यायहित में विलम्ब को क्षमा कर उप शमन को निरस्त कर अपील स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया । अपीलान्ट ने रामेश्वर के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 अवधि अधिनियम पेश किया है । रामेश्वर अपीलान्ट का पिता/ पति है जिसकी मृत्यु की जानकारी अपीलान्टस् को मृत्यु के दिन से ही है ।यह प्रार्थना पत्र अपीलान्ट ने लगभग-11 माह बाद पेश किया जिसके विलम्ब के कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किये। केवल यह कह देना सही नहीं है कि प्रकरण उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर से उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ मे हस्तान्तरित हो गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं रही । यह गलत है । लक्ष्मणगढ में वादी उपस्थित रहा है जो अदालत मातहत की आदेशिका में स्पष्ट दर्ज है । इस कारण अपीलान्ट के इस कथन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता । विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य भिन्न है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 10-11-2005 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया ।

23/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर